न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

सपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र 42/2022

मुकदमा संख्या 323/2022 अपराध अन्तर्गत धारा 5,8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 व 11 डी पशु क्रूरता अधिनियम

श्री दिनेश वैष्णव पुत्र श्री शिवराज वैष्णव उम्र 25 वर्ष जाति वैष्णव निवासी हियालिया तहसील भिनाय (अजमेर) जरिये पावर ऑफ एटौर्नी होल्डर धनराज वैष्णव पुत्र श्री शिवराज वैष्णव उम्र 20 वर्ष जाति वैष्णव निवासी हियालिया तहसील भिनाय (अजमेर) ....**प्रार्थी**

बनाम

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना विजयनगर, अजमेर ....अप्रार्थी

उपस्थित :– श्री दिवाकर अभिभाषक प्रार्थी

प्रार्थना पत्र वास्ते वाहन रिलीज करने बाबत

(मुकदमा संख्या 323/2022)

आदेश

दिनांक– 21.12.2022

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी/सुपुर्दगीदार का वाहन महेन्द्रा बोलरों पिकअप सी.बी.सी रजि. संख्या आर.जे. 20 जी.बी. 4476 मॉडल 2017 पुलिस थाना विजयनगर जिला अजमेर के प्रकरण संख्या 323/2022 अपराध अन्तर्गत धारा 5,8, राजस्थान गौवंशीय प्रतिषेध अधिनियम 1995 व 11 डी पशु क्रूरता अधिनियम 1995 में जब्त किया गया। प्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक जप्त वाहन को सुपुर्दगी/जमानत पर छोड़े जाने के आदेश हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर थानाधिकारी पुलिस विजयनगर, जिला अजमेर से प्रकरण बाबत टिप्पणी तलब की गई। सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/सुपुर्दगीदार का वाहन महेन्द्रा बोलरों पिकअप सी.बी.सी रजि. संख्या आर.जे. 20 जी.बी. 4476 मॉडल 2017 पुलिस थाना विजयनगर जिला अजमेर के प्रकरण संख्या 323/2022 अपराध अन्तर्गत धारा 5,8, राजस्थान गौवंशीय प्रतिषेध अधिनियम 1995 व 11 डी पशु क्रूरता अधिनियम 1995 में जब्त किया गया। जब्त शुदा वाहन पुलिस थाना विजयनगर में खुले में पड़े होने से खराब होने की सम्भावना है। न्यायालय के निर्देशानुसार अधिरोपित शर्तो की पालना करने को तैयार व तत्पर है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाहन महेन्द्रा बोलरों पिकअप सी.बी.सी रजि. संख्या आर.जे. 20 जी.बी. 4476 मॉडल 2017 को सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

हमने अप्रार्थी थानाधिकारी पुलिस थाना विजयनगर जिला अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का प्रार्थी के सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र एवं सुनवाई दौरान व्यक्त कथनो पर मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि पुलिस थाना विजयनगर जिला अजमेर

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

को प्राप्त सूचना पर दौराने जांच महेन्द्रा बोलरों पिकअप सी.बी.सी रजि. संख्या आर.जे. 20 जी.बी. 4476 में अवैध गौवंश 3 गाय, क्रूरतापूर्वक ठूस–ठूस कर भरे हुए पाया गया है। पुलिस थाना बिजयनगर द्वारा गौवंश को बाडी माता गौशाला में अस्थाई रूप से सुपुर्द किया जाकर महेन्द्रा बोलेरो को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा किया गया है। प्रकरण में वाहन से सम्बन्धित अनुसन्धान पूर्ण किया जा चुका एवं वाहन को नियमानुसार रिलीज कर दिया जावे तो कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया गया है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं विवेचनानुसार जिस स्थिति में उक्त गोवंश को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है उससे इन्हे अवैध रूप से (कटने के लिये) ले जाना स्पष्ट है। जब्तशुदा गौवशं को, देखरेख/चारे पानी की सुचारू व्यवस्था हेतु गौशाला में सुपुर्दगी पर छोड़ा गया है। पुलिस अनुसंधान में मुल्जिमान के विरूद्ध धारा धारा 5, 8, गोवंश अधिनियम 1995 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 तथा धारा 11 डी पशु क्रुरता अधिनियम 1960 का अपराध प्रमाणित पाया गया है। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के अधिनियम संख्या 23 में धारा 6–क का अन्तःस्थापन किया गया है जिसमें इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जावें तथा ऐसे अपराध करने के लिए उपयोग में लाये गये प्रवहण का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होगा, प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त अधिनियम के तहत अधिकारिता रखने वाला सक्षम प्राधिकारी को कब्जे राज लिये गये गौ वंश तथा ऐसे अपराध के लिए उपयोग में लिये जाने वाले वाहन के निस्तारण का अधिकार दिया गया है। प्रार्थी द्वारा इस वाहन को सुपुर्दगीनामें पर दिए जाने का निवेदन किया गया है। वाहन के अधिहरण के आदेश करने के पूर्व गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 में दिये गये प्रावधानो के मद्देनजर जब्त शुदा वाहन के अधिहरण के बदले में प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक के जुर्माने का संदाय करने पर वाहन प्रार्थी को सौंपा जा सकता है। चूंकि उक्त वाहन महेन्द्रा बोलेरों पिकअप सी.बी.सी रजि. संख्या आर.जे. 20 जी.बी. 4476 का उपयोग, उपरोक्तानुसार गैर–कानूनी अवैध कृत्य हेतु किया जा रहा था। लिहाजा प्रकरण में जब्त वाहन महेन्द्रा बोलरों पिकअप सी.बी.सी रजि. संख्या आर.जे. 20 जी.बी. 4476 को रूपये 25,000/–अक्षरे पच्चीस हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है। आरोपित शास्ति राशि प्रार्थी द्वारा जमा करवाने पर थानाधिकारी पुलिस थाना विजयनगर जिला–अजमेर, नियमानुसार राशि राजकोष (सम्बन्धित मद) में जमा करवाकर वाहन महेन्द्रा बोलरों पिकअप सी.बी.सी रजि. संख्या आर.जे. 20 जी.बी. 4476 की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद जांच सम्बन्धित वाहन मालिक को सुपुर्द करें। जमा चालान/रसीद, के पालना रिपोर्ट पेश हों।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर,
अजमेर।